FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) जायल .... मुकाम ....

तारांचद .... बनाम .... पीराराम वगैरा

किस्म मुकदमा रास्ता आवेदन .... नं. 269/19 .... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.8.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सिहाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/8/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) जायल	
28/08/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय पीठासीन अधिकारी ट्रेनिंग कार्य से व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/10/19 को पेश हो। [initials]	
16/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों के	

[signature] 16.10.2019

Scanned by CamScanner

सेडा मेड विपार्थीगणों के खेत आये हुए है प्रार्थी व विपार्थीगणों के खेतों के सेडो पर जो पुरानी माडे व डोले थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिसके कारण प्रार्थी व विपार्थीगणों के खेतों के मेडो का सही ज्ञान नहीं हो रहा है। तथा सेडो पर किसी प्रकार की कोई पक्की पक्की माड या चिन्ह आदि नहीं होने से विपार्थीगण प्रार्थी के कब्जा शुदा खेत का जबरदस्ती सेडा तोड देते है एवम् बर्जीत होने पर आमन कर लेते है। जिससे प्रार्थी व विपार्थीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में अपने खेत का सीमाज्ञान करवाया गया परन्तु राजस्व रेकर्ड व मौके पर कब्जे में अन्तर पाया गया। इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की नेपमबनी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेपमबनी आवेदन को स्वीकार कीया जाकर नेपमबनी आदेश कीया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबनी आवेदन स्वीकार कीया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त कीया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेपमबनी मौके पर कमिश्नर मुल्तु जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली कोमल कुमार होकर दर्ज नम्बर मे क्रम हो। दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
16.10.2019

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/766

दिनांक–16/10/19

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

ताराचन्द पुत्र छौगालाल जाति महाजन
निवासी बाटाडु

पीराराम पुत्र पोकरराम वगैरा
निवासी बाटाडु

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 269/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा रामपुरा पटवार हल्का बाटाडु तहसिल बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1779/1554, 1716/1556 रकबा क्रमश 11.01, 15.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0.रा0.अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

विवेक व्यास
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक/वाद/2019/767-71

दिनांकः–16/10/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री ताराचन्द पुत्र छौगालाल
4. विप्रार्थीगण पीराराम पुत्र पोकरराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

विवेक व्यास
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.20 17:31:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: